

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड देहरादून

पत्रांक 1018/विकास कार्य/नि0सू0/2026-27

दिनांक 23/09/2026

ई-निविदा सूचना

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों जो आयकर, व्यापार कर/जी0एस0टी0 देहरादून में पंजीकृत हो, ऐसे फर्मों/ठेकेदारों से निम्न विकास कार्यों को करने हेतु ई-निविदा दिनांक 23.09.2026 को अपराह्न 2.00 बजे तक uktenders.gov.in की बैबसाईट के माध्यम आमंत्रित की जाती है। प्राप्त ई निविदाओं को निविदा समिति/अधिकृत प्राधिकारी द्वारा दिनांक 25.09.2026 को पूर्वान्ह 11.00 बजे उपरान्त उपस्थित निविदादाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। नियत तिथि के उपरान्त प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आगणन में अकिंत विशिष्टियों की मात्रा पूर्णत अनुमानित है इसमें परिवर्तन (घटत/बढत) सम्भावित है परन्तु भुगतान वास्तविक कार्य के माप/आंकलन के आधार पर किया जायेगा।

इच्छुक पंजीकृत ठेकेदार/फर्म द्वारा उक्त कार्य हेतु निविदा मूल्य की धनराशि का पे-आर्डर जो सचिव, एम0डी0डी0ए0 के पक्ष में हो, एवं निर्धारित राशि की धरोहर राशि जो एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0/एन0एस0सी0 के रूप में होगी, तथा अधिशासी अभियन्ता, म0दे0वि0प्रा0 के नाम बन्धक होगी, को निविदा शर्तों के अनुसार अन्य अभिलेखों के साथ उक्त बैबसाईट में उक्त तिथि व समय तक निविदा प्रस्ताव के साथ स्कैन करना होगा तथा इन सभी की मूल प्रति दिनांक 24.09.2026 को अपराह्न 2.00 बजे तक प्राधिकरण के अभियन्त्रण अनुभाग में जमा करानी होगी। निर्धारित तिथि एवं समय तक उक्त अभिलेख जमा न करने की दशा में उस फर्म की निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। कार्य का विस्तृत विवरण/बी0ओ0क्यू0/शर्तें बैबसाईट पर उपलब्ध है। अन्य शर्तें निविदा प्रपत्र, जी0पी0 डब्लू0-9 एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा परफोरमेन्स सिक्यूरिटी एवं जमानत राशि हेतु जारी शासनादेश संख्या शासनादेश संख्या 1197/II (2)/07-75(सामान्य)/II दिनांक 24-2-2014 एवं अन्य के अनुसार होगी। जी0एस0टी0 नियमानुसार देय होगी। समस्त निविदाओं की वैधता 60 दिन मान्य रहेगी।

क्र0	कार्य का नाम	अनु0 लागात (लाख)	धरोहर राशि (लाख रू0)	टेन्डर शुल्क	समय (माहो में)
1	वार्ड 94 नत्थनपुर के भागीरथी एन्क्लेव में सामुदायिक भवन का सौन्दर्यीकरण का कार्य।	118.85	237700.00	4720.00	06
2	वार्ड 98 बालावाला पुलिस चौकी के समीप में सामुदायिक भवन का निर्माण।	118.85	237700.00	4720.00	06
3	डोभाल वाला में सडक एवं नाली निर्माण कार्य।	108.19	216400.00	4720.00	06
4	विजय कालोनी में सडक एवं नाली निर्माण कार्य।	108.19	216400.00	4720.00	06
5	ग्राम जीवनवाला में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	67.21	134500.00	4720.00	06
6	ग्राम मारमख ग्रांट के बुल्लावाला में मिलन केन्द्र एवं सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	45.90	91800.00	3540.00	04
7	नगर निगम देहरादून के वार्ड 99 नकरौन्दा देवांचल विहार में सडक।	37.55	75100.00	2950.00	04
8	वार्ड 32 बल्लुपुर के राजेन्द्र नगर में लेन नं0-1, 2, 3, 5 7, 9, 11 में सडक ।	59.00	118000.00	4720.00	05
9	विधान सभा डोईवाला के अन्तर्गत धर्मचक में अम्बेडकर पार्क की चार दिवारी एवं टिन शेड का निर्माण कार्य।	28.68	75000.00	2360.00	03
10	वार्ड 87 पित्तुवाला में पचायत भवन के जीर्णोद्धार।	26.22	75000.00	2360.00	03
11	मेहूवाला माफी राजकीय इन्टर कॉलेज में मुख्य द्वार से प्रयोग शाला तक सडक निर्माण कार्य।	9.00	27000.00	1180.00	01
12	शिमला बाईपास मुख्य मार्ग अन्ना हंजारे चौक से ग्रीन वैली कालोनी तक सडक निर्माण कार्य।	13.50	40500.00	1700.00	02
13	वार्ड 33 यमुना कालोनी के चकराता रोड से कांवली रोड तक सडक।	31.59	75000.00	2950.00	03
14	वार्ड 41 इन्दिरापुरम एवं वार्ड 43 द्रोण पुरी में मिलन विहार, परम विहार से लाल पुल तक सडक निर्माण।	26.00	75000.00	2360.00	03
15	माजरी ग्रांट वार्ड 10 के अम्बेडकर भवन में मिलन कक्ष का निर्माण कार्य।	17.21	51700.00	1700.00	02
16	नगर निगम देहरादून के वार्ड 99 नकरौन्दा में बालाजी एन्क्लेव में सडक।	26.51	75000.00	2360.00	03
17	भोपालपानी में मिलन केन्द्र-बारात घर का निर्माण	17.21	51700.00	1700.00	02
18	ग्राम रानीपोखरी में महिला समूह हेतु कक्ष निर्माण	11.88	35700.00	1700.00	01

सदर

19	आई0एस0बी0टी0 फ्लाई ओवर में पेन्ट/पुताई का कार्य	29.09	75000.00	2360.00	02
20	लक्ष्मण चौक सरस्वती सोनी मार्ग में सडक निर्माण कार्य	18.71	56000.00	1700.00	02
21	दून विहार वार्ड 06 बापू नरग में सामुदायिक भवन/टिन शेड का निर्माण	16.39	49200.00	1770.00	02
22	वार्ड 06 आर0आर0 अग्रवाल एन्क्लेव लेन नं0-02 में नाली ।	14.01	42100.00	1770.00	02
23	वार्ड 02 विजयपुर पातालेश्वर मन्दिर में पुलिया शौचालय व सडक	15.16	45500.00	1770.00	02
24	राजेश्वर नगर फेस 1 में सामुदायिक भवन की बाउण्ड्री का निर्माण	8.11	24400.00	1180.00	02
25	माता संतला देवी के प्रवेश द्वार के निकट शौचालय निर्माण ।	8.03	24100.00	1180.00	02
26	ग्राम पंचायत धनौला में सुरक्षात्मक दीवार का कार्य ।	11.06	33200.00	1770.00	02
27	आई0एस0बी0टी0 परिसर में ई0वी0 बस चार्जिंग हेतु 120 KW चार्जिंग स्मार्ट ई0वी0 चार्जिंग स्टेशन मय 10 किलोवाट सोलर प्लांट लगाने का कार्य ।	40.60	81200.00	3540.00	03
28	शन्तलादेवी मन्दिर में शौचालय का निर्माण कार्य	8.03	24100.00	1180.00	02
29	नगर निगम देहरादून के वार्ड 98 बालावला में वॉकिंग ट्रैक/ओपन जिम का निर्माण कार्य ।	12.30	36900.00	1770.00	02
30	वार्ड 87 के पित्थुवाला के दून एन्क्लेव एक्सटेशन में सडक/नाली	12.29	36900.00	1770.00	02
31	वार्ड 86 के सेवलाकला के गौतम विहार में नाली का निर्माण ।	9.83	29500.00	1180.00	02
32	वार्ड 86 के सेवलाकला के देवलोक में नाली का निर्माण ।	12.29	36900.00	1770.00	02
33	विभिन्न स्थानों पर एन्ट्री गेट, साईनेज व वाटर कूलर का कार्य ।	51.22	102500.00	4720.00	04
34	कारबारी ग्रांट में सडक निर्माण कार्य ।	9.71	29200.00	1180.00	02
35	विधान सभा सहसपुर के अन्तर्गत नन्दा की चौकी में आंगनबाड़ी प्रांगण के निकट अम्बेडकर भवन व रविदास मन्दिर टिन शेड का निर्माण ।	10.16	10500.00	1770.00	02
36	वार्ड 59 किरसाली, तरला नागर गुजरमी भण्डारी मौहल्ला आदि स्थलो पर सडक निर्माण ।	6.55	19700.00	1180.00	01
37	हरचावाला में शालू के घर से रमोला के घर तक रैलिंग का कार्य	9.83	29500.00	1180.00	01
38	विधान सभा रायपुर लोअर तुनवाला के श्री मदन लाल के घर से पवन सिंह के घर के दोनों तरफ सडक नाली, व स्लेब का कार्य	6.55	19700.00	1180.00	01
39	गुजरमी गांव में सडक निर्माण कार्य ।	6.84	20600.00	1180.00	01

अन्य नियम एवं शर्तें

1. जिन ठेकेदारों/फर्मों को पूर्व से प्राधिकरण कें किसी भी अनुभाग में किसी भी प्रकार के 02 विकास कार्य आवंटित हुए हो, वह कार्य अनुबन्ध की प्रक्रिया में हो अथवा गतिमान हो, वह ठेकेदार/फर्म उन 02 कार्यों को पूर्ण करने के उपरान्त ही निविदा में भाग ले पायेगा।
2. एक फर्म/ठेकेदार को एक बार में 02 ही कार्य आवंटित किये जायेंगे। 02 कार्य आवंटित होने के उपरान्त वह ठेकेदार आवंटित 02 कार्यों को पूर्ण करने के उपरान्त ही आगे निविदा में भाग लेगा।
3. किसी भी फर्म/ठेकेदार की 02 निविदा खुल जाने के उपरान्त यदि उस ठेकेदार की अन्य कार्यों में निविदा पायी जाती है तो उसे सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
4. uktenders.gov.in, एवं mddaonline.in की बैबसाईट व दैनिक समाचार पर विज्ञप्ति जारी होने के पश्चात प्राधिकरण में यदि कोई फर्म पंजीकृत होता है तो वह फर्म उपरोक्त कार्यों में प्रतिभाग नहीं कर पायेगा।
5. निविदा के साथ मूल रूप में एवं ऑनलाईन निविदा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत किये जाने अनिवार्य है :-
 - निविदा वैधता के सम्बन्ध में, सत्यता और शुद्धता के सम्बन्ध में, लिटिगेशन की सूचना के सम्बन्ध में, निविदा समिति के निर्णय/नो क्लेम के सम्बन्ध में, No Dues के सम्बन्ध में, रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर, एवं रू0 1.00 के रसीदी टिकट के साथ नोटराइज्ड हस्ताक्षरित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 - प्रत्येक ठेकेदार को प्राधिकरण में आवंटित कार्यों/निर्माणाधीन कार्यों अथवा वर्तमान में कोई कार्य आवंटित न होने/निर्माणाधीन न होने का उल्लेख उक्त शपथ पत्र में करना अनिवार्य होगा।
6. उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 770/iii(2) 17.20 (सामान्य) 2011 टी0सी0 दिनांक 12.06.2017 के अनुसार विभागीय दरों से 5 प्रतिशत से कम दरों पर निविदा देने पर अतिरिक्त परफोरमेंस सिक्योरिटी जमा करनी होगी।
7. प्राधिकरण को बिना कारण बताये किसी एक निविदा अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार होगा।
8. ई-निविदा में प्रतिभाग करने में दूरसंचार एवं निविदा को बैबसाईट पर तकनीकी खराबी आदि से निविदादाता को होने वाली कठिनाइयों हेतु प्राधिकरण जिम्मेदार नहीं होगा।

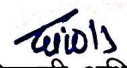
बिना

9. कार्य पूर्ण करने के उपरान्त डी0एल0पी0 की गणना कार्य की प्रकृति को देखते हुए लोक निर्माण विभाग में लागू नियमों के अनुसार होगी।
10. शासनसदेश संख्या-306433 / 2025 XXVII(9)/02/ अधिप्राप्ति / 20204 ई0प्रत्रा0 संख्या 76643 दिनांक 13.06.2025 के क्रम में कार्यालय आदेश दिनांक 03.01.2026 के अनुपालन में निविदा में वही पंजीकृत ठेकेदार भाग लेगा जिसके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य का मूल निवास/स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

अधिकासी अभियन्ता
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून ।

प्रतिलिपि:-

- 1-सचिव, / वित्त नियन्त्रक म0दे0वि0प्राधि0देहरादून ।
- 2-नगर निगम / लोक निर्माण विभाग / जिला परिषद / सिचाई विभाग के नोटिस बोर्डों पर चस्पा हेतु।
- 3-नाजिर म0दे0वि0प्राधि0 को इस आशय से प्रेषित कि वे रोस्टर के अनुसार 02 दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर अखबार की प्रतियां इस अनुभाग को उपलब्ध करायेगें ।
- 4-आई0टी0 अनुभाग को इस आशय से कि विज्ञप्ति को बेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 5-प्राधिकरण नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।
- 6-सम्बन्धित पत्रावली पर संलग्न करने हेतु ।


अधिकासी अभियन्ता
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून ।